न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2024/176

सिविल प्रकरण संख्याः– 88/2024 तारीख रजू 16.10.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. जसवन्त सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह (विक्रेता) मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार, बहरावण्डा खुर्द खण्डार, सवाई माधोपुर। निवासी कनोडिया पुरोहितान जोधपुर 342314
2. श्रवण सिंह पुत्र दुर्गा सिंह (फर्म मालिक) मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार, बहरावण्डा खुर्द, खण्डार, सवाई माधोपुर। निवासी कनोडिया पुरोहितान जोधपुर 342314 मो0 9571480101

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51&54 FSSA 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 18.03.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 08.08.2024 को दोपहर 2.30 पी.एम. पर फर्म–बीकानेर मिष्ठान भण्डार, बहरावण्डा खुर्द, खण्डार सवाईमाधोपुर पर पहुंचा। वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम जसवन्त सिंह पुत्र गणपत सिंह स्वयं को विक्रेता बताया एवं फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं फर्म मालिक श्रवण सिंह का आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की। संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को **Mawa Barfi Sweets (made from mawa and sugar)** विक्रय हेतु रखा हुआ था। उक्त मावा बर्फी में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच 2 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 400/– रूपये जसवन्त सिंह को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह कालूराम के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता जसवन्त सिंह ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता जसवन्त सिंह को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

किलोग्राम **Mawa Barfi Sweets (made from mawa and sugar)** को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Mawa Barfi Sweets (made from mawa and sugar)** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर 40–40 बूंदे फार्मेलीन डाल कर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-3376** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकत्सिा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप क्रमांक **H-3376** नियमानुसार चारो नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें । चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म सं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में आवेदक द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की। दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक एफएसएसए/2024/964 दिनांक 18/09/2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/3267/एक्ट/2024/3064 दिनांक 20/08/2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mawa Barfi Sweets (made from mawa and sugar) Substandard as the extracted fat does not conform to the standards of Ghee/Milk Fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation. 2011, The Sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006** होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1058 दिनांक 9.10.2024 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में उपर अ[illegible] **Substandard & Extraneous matter (foreign fat), Mawa Barfi Sweets (made from maw[illegible]nd s[illegible]r)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया गया है जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 54 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 एवं 2 की ओर से अभियुक्त संख्या 2 उपस्थित हुए तथा प्रकरण में जवाब पेश कर जवाब को ही बहस मानकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। आगामी पेशियों पर अभियुक्त के उपस्थित नहीं आने पर अभियुक्त के जवाब के आधार पर बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा **Substandard & Extraneous matter (foreign fat), Mawa Barfi Sweets (made from mawa and sugar)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त संख्या 2 ने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी की प्रतिष्ठान से दिनांक 08.08. 2024 को **Mawa Barfi Sweets (made from mawa and sugar)** का सेम्पल लिया गया था जिसे जयपुर लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी मावा बर्फी बनाने के लिए बाजार से कच्चा माल मावा एवं शक्कर खरीद कर लाता है तथा मावा बर्फी बनाता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी से अनजाने में गलती हुई है। प्रार्थी गलती स्वीकार करता है तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। जवाब में अभियुक्त संख्या 2 ने यह भी अंकित किया कि प्रार्थी पर न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस 3267/एक्ट/2024/3064 दिनांक 20/08/2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mawa Barfi Sweets (made from mawa and sugar) Substandard & Extraneous matter (foreign fat)** प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त संख्या 2 ने अपने पेश किये गये जवाब में अपनी गलती स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Mawa Barfi Sweets (made from mawa and sugar)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या–2 पर 25,000/–रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested